उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या– यू0ओ0–03/XXVII(9)/2010/स्टाम्प/2010
देहरादूनः दिनांकः 12 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) एवं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 78 (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, ग्राम सुमाड़ी, नकोट लग्गा खालू, सुपाणा लग्गा खालू एवं स्यार मल्ला जनपद पौड़ी गढ़वाल, में स्थित 9.662 हैक्टेयर भूमि को राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान (एन0आई0टी0) के नाम दान पत्र के माध्यम से अंतरित किये जाने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

पत्रांक : यू0ओ0–03/XXVII(9)/2010/स्टाम्प/2010
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/जिलाधिकारी पौड़ी, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
5. न्याय/विधायी अनुभाग।
6. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को (अंग्रेजी के रूपान्तरण सहित) आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 100–100 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।
7. प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)
सचिव।